

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग


क्रमांक : प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 6 FEB 2017

—: आज्ञा :-


श्री चेतन चौहान, आरएस भूमि अवाप्ति अधिकारी, परवन सिंचाई परियोजना, बारां
का पदनाम “भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत्, बारां” एतद्वारा परिवर्तित किया जाता
है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अरविन्द कुमार पोस्वाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1— सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री महोदया, राज. जयपुर।
- 2— उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
- 3— शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
- 4— संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
- 5— श्री चेतन चौहान, आरएस भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत्, बारां।
- 6— ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा, कार्मिक (क-4) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संशोधित पदनाम को
कम्प्यूटर में दर्ज करायें।
- 7— संबंधित लिपिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव